

2	Director (Farm information), Directorate of Extension	- Member	
3	Under Secretary (Extension), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare	- Member	
4	Deputy Director (Administration/Accounts), Directorate of Extension	- Member	

[F. No. 1-24/2014-Extn. (RRs) Vol.-II]

M. L. ATAL, Under Secy. (Extn.)

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2017

सा.का.नि. 380.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, स्टाफ कार ड्राईवर (विशेष श्रेणी), भर्ती नियम 2016 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, स्टाफ कार ड्राईवर (विशेष श्रेणी) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।
- (2) ये भारत के राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, स्टाफ कार ड्राईवर (विशेष श्रेणी), भर्ती नियम 2016 में-
 - नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

“2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।”

- अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्:—

अनुसूची

पद का नाम (1)	पद संख्या (2)	वर्गीकरण (3)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर (4)	चयन या अचयन पद (5)
स्टाफ कार चालक (विशेष श्रेणी)	25* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा (समूह 'ख'), अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	स्तर-6 (35400 रु.)	अचयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
(6)	(7)	(8)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(9)	(10)
दो वर्ष	प्रोन्नति

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रोन्नति: ऐसे स्टाफ कार चालक (श्रेणी-1) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (29,200 रु.) के स्तर-5 की श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की है।
टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिबीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।
प्रशिक्षण: राजीव गांधी राष्ट्रीय भूमिगत जल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर से यानों के प्रचालन और अनुरक्षण (पुनश्चर्या पाठ्यक्रम) के लिए दो सप्ताह का प्रशिक्षण।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
1. अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड - अध्यक्ष	
2. निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड - सदस्य	
3. अधीक्षण इंजीनियर, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड - सदस्य	

[फा. सं. 21/08/2016- सीजीडब्ल्यूबी]

आर. एन. दीक्षित, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 23 अप्रैल, 2016 में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 60 तारीख 11 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

New Delhi, the 26th October, 2017

G.S.R. 380.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Central Ground Water Board, Staff Car Driver (Special Grade), Recruitment Rules, 2016, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Ground Water Board, Staff Car Driver (Special Grade), Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Ground Water Board, Staff Car Driver (Special Grade), Recruitment Rules, 2016,-

(i) for rule 2, the following shall be substituted, namely:-

“2. Number of posts, classification and level in pay matrix.—The number of said post(s), its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules”;

(ii) for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:-

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Staff Car Driver (Special Grade).	25*(2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, (Group 'B'), non-Gazetted, Ministerial.	Level-6 (Rs.35400)	Non-selection

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of Probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various method.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years	Promotion

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grade from which promotion or deputation/absorption is to be made

(11)

Promotion:

Staff Car Driver (Grade-I) in level-5 in the pay matrix (Rs.29200) with six years regular service in the grade.

Note 1: Where juniors who have completed their qualifying eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation

period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

Training

Two week training for operation and maintenance of vehicle (Refresher Course) from Rajiv Gandhi National Ground Water Training and Research Institute, Raipur.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group'B' Departmental Promotion Committee consisting of:— 1. Chairman, Central Ground Water Board —Chairman 2. Director (Administration), Central Ground Water Board - Member 3. Superintending Engineer, Central Ground Water Board — Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. 21/08/2016-CGWB]

R. N. DIXIT, Under Secy.

Footnote : The principal rules were published vide notification number G.S.R. 60 dated the 11th April, 2016 in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section(i) dated 23rd April, 2016.

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2017

सा.का.नि. 381.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, कार्यपालक इंजीनियर, समूह 'क' पद भर्ती नियम 2011, उन बातों के अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में कार्यपालक इंजीनियर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, कार्यपालक इंजीनियर, समूह 'क' पद भर्ती नियम 2017 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .—**पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि .—**भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता.—**वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा: